न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 135/2025 निर्णय दिनांकः– 20-4-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/249)

1. लीलाधर पुत्र श्री राधा कृष्ण जाति कलाल निवासी बांय तहसील तारानगर जिला चुरू।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–12–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मु. बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री धीरेन्द्र भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 28–12–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील पूगल के चक 20 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 236/11 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 24.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित हुई। जिसका अपीलांट ने 35 प्रतिशत राशि जमा करवा कर आवंटन पट्टा भी प्राप्त कर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लिया और मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया परन्तु बाद में अपीलांट अकाल की स्थिति होने के कारण बाकी किश्त राशि जमा नही करवा पाया। जिस कारण अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये बिना कोई सूचना के अपीलांट का आवंटन खारिज कर दिया गया। अपीलांट गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। अपीलांट को किश्त जमा करवाने की किसी प्रकार की सूचना नही दी गई थी।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट का आवंटन किश्ते जमा नही करवाने के कारण खारिज किया गया है। जिसकी सूचना व नोटिस अपीलांट को कभी नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को राशि जमा करवाने बाबत कभी कोई सूचना नही दी गई। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तो के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायालय का अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि अपीलांट लीलाधर पुत्र राधाकृष्ण को चक 20 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 236/11 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के पश्चात अपीलांट/प्रार्थी द्वारा बकाया किश्ते जमा नही करवाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-12-1997 को अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस पर किसी प्रकार की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में **माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के प्रकरण संख्या 4811/2014 निर्णय दिनांक 05–01–2026 उनवान साहबराम बनाम सरकार के निर्णय की प्रति पेश की जिसमें अभिनिर्धारित किया है कि " विचारण न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध एकपक्षीय होने से समर्थन योग्य नही है तथा ऐसे विधि विरूद्ध आदेश का समर्थन करने से अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।" माननीय न्यायालय द्वारा दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः रिमाण्ड किया गया था।**

राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

उक्त नजीर उक्त प्रकरण में पुर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत रकबा यदि किसी अन्य को आवंटित न हुआ हो, किसी सरकारी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो और अपीलांट 3 माह के भीतर नियमानुसार

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

समस्त बकाया राशि जमा करवा दे तो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20-4-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर